रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 8 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 16, 1944 शक संवत्) [संख्या 41

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	823–840	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	827–841	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	155–156	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	485–486	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

31 अगस्त, 2022 ई0

सं0 1135/दो-1-2022-19/1(4)/2010—भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के अधिकारी श्री अवनीश कुमार अवस्थी, आई0ए0एस0 (आर0आर0-1987), जो वर्तमान में अपर मुख्य सचिव, गृह, गोपन, वीजा पासपोर्ट, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, सतर्कता विभाग धर्मार्थ कार्य विभाग, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, महानिदेशक, कारागार, उ0प्र0, लखनऊ, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपिडा एवं उप्सा, लखनऊ के पद पर तैनात हैं, अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 अ

गस्त, 2022 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

आज्ञा से,
धनन्जय शुक्ला,
विशेष सचिव।

सेवानिवृत्ति

14 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 02/1001(009)/3526/2020-1—भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तर प्रदेश संवर्ग की अधिकारी सुश्री जूथिका पाटणकर, आई0ए0एस0 (यू0पी0-1988) द्वारा अपने पत्र दिनांक 21 जुलाई, 2022 द्वारा आल इण्डिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स) रूल्स 1958 के तहत दिनांक 01 नवम्बर 2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2—अतएव सुश्री जूथिका पाटणकर, आई0ए0एस0 (यू0पी0-1988), सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में आल इण्डिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स) रूल्स 1958 के नियम 16 (2) के तहत सुश्री जूथिका पाटणकर, आई0ए0एस0 (यू0पी0-1988) को दिनांक 01 नवम्बर, 2022 से भारतीय प्रशासनिक सेवा से एतद्द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति की जाती है।

आज्ञा से,
डॉ देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-3

कार्यालय-ज्ञाप

10 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 02-3001(009)/52/2022-3—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 383/दो-3-2021, दिनांक 09 अप्रैल, 2021 के माध्यम से उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्त श्री कर्मवीर केशव, उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी (परिवीक्षाधीन), प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, 2021 में चयन हो जाने के फलस्वरूप उक्त सेवा में कार्यभार ग्रहण करने/प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु उनके द्वारा मेला अधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज के पत्र संख्या 554/पन्द्रह—मा0मे0 (2022-23), दिनांक 18 अगस्त, 2022 के माध्यम से त्याग-पत्र स्वीकृति किये जाने हेतु पत्र दिनांक 18 अगस्त, 2022 प्रस्तुत किया गया है।

2—अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री कर्मवीर केशव, उपजिलाधिकारी/विशेष्ा कार्याधिकारी (परिवीक्षाधीन), प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज को धारित पद से पृथक् सेवा योजन के लिये उ0प्र0 सरकारी सेवक त्याग-पत्र नियमावली, 2000 के नियम-5 में अंकित प्राविधानों के दृष्टिगत श्री कर्मवीर केशव का उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) से त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
मदन सिंह गर्ब्याल,
विशेष सचिव।

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

06 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 729/दो-4-2022-26/2(5)/2011—संयुक्त निबन्धक Admin (A-1 & A-4), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 10193/IV-3277/Admin. (A-1), दिनांक 20 अगस्त, 2022 के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के निम्नवत अधिकारी द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5
1	श्री सुनील कुमार शर्मा, तत्कालीन सिविल जज (जू0डि0), खुर्जा, बुलन्दशहर, तत्कालिक सदस्य दिल्ली उच्च न्यायालय।	युनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली	एल0एल0एम0	2005

15 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 754/दो-4-2022-26/2(5)/2011—संयुक्त निबन्धक Admin (A-1 & A-4), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 10691/IV-4076/Admin. (A-1), दिनांक 27 अगस्त, 2022 के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के निम्नवत अधिकारी द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल	उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), अलीगढ़।	10691/IV-4076/Admin. (A-1) दिनांक 27-8-2022	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2021

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
विशेष सचिव।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान]

सेवानिवृत्ति

31 अगस्त, 2022 ई0

सं0 2136(1)/(अधिष्ठान) वि0प0-267/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 2683/(अधि0)वि0प0-267/84, दिनांक 10 सितम्बर, 2021 के क्रम में श्री अमर बहादुर सिंह, अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 अगस्त, 2022 के अपराह्न से सेवानिवृत्ति हो गये।

नियुक्ति

05 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 2172(1)/(अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 1917/अधि0 वि0प0-47/20, दिनांक 04 अगस्त, 2022 के द्वारा श्री राम सागर शुक्ल, उप सचिव के संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये उप सचिव के पद पर उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम 6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम 30 (क) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री तेज प्रताप सिंह, अनुसचिव को उप सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800-2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 2173(1)/(अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 2172/अधि0 वि0प0-47/20, दिनांक 05 सितम्बर, 2022 के द्वारा श्री तेज प्रताप सिंह, अनुसचिव की उप सचिव के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुसचिव के पद पर उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम 6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम 30 (क) के अन्तर्गत श्री संजय मेहरोत्रा, अस्थायी अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 2174(1)/(अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 2136/अधि0 वि0प0-267/84, दिनांक 31 अगस्त, 2022 के द्वारा रिक्त हुये अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के राजपत्रित पद वेतन मैट्रिक लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम 30 (क) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री धनंजय सिंह, अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

06 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 2185(1)/(अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 2173/अधि0 वि0प0-47/20, दिनांक 05 सितम्बर, 2022 के द्वारा श्री संजय मेहरोत्रा के अनुसचिव के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुभाग अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम 30 (क) में प्रदत्त शक्तियों के

अन्तर्गत श्री रतन कुमार तिवारी, वरिष्ठतम समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 2186(1)/(अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 2174/अधि0 वि0प0-47/20, दिनांक 05 सितम्बर, 2022 के द्वारा श्री धनंजय सिंह के अनु सचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुभाग अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम 30 (क) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री संजय कुमार गुप्ता, वरिष्ठतम समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

07 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 2213(1)/(अधिष्ठान) वि0प0-267/84—श्री ओम प्रकाश सिंह, उपसचिव, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 अगस्त, 2023 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

सचिवालय प्रशासन विभाग

[अधिष्ठान]

अनुभाग-1

पदोन्नति

01 जुलाई, 2022 ई0

सं0 20-1/1/2021-1—श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री अजय प्रताप सिंह, अनु सचिव वित्त विभाग को वर्तमान तैनाती के विभाग में ही उप सचिव के पद (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन 7,600), पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री अजय प्रताप सिंह को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही उप सचिव के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3—श्री अजय प्रताप सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 20-1/1/2021-1—श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री जोगेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को वर्तमान तैनाती के विभाग में ही विशेष सचिव के पद (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन 8,900), पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13क) पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री जोगेन्द्र प्रसाद को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3—श्री जोगेन्द्र प्रसाद की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

तैनाती

03 अगस्त, 2022 ई0

सं0 20-1001(099)/83/2022-1—तात्कालिक प्रभाव से श्री सुनील कुमार चौहान, अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एतद्द्वारा स्थानांतरित करते हुये अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पद पर तैनात किया जाता है।

2—श्री सुनील कुमार चौहान को निर्देशित किया जाता है कि वह नवीन तैनाती/आवंटित विभाग में बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये तत्काल योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

सं0 20-1001(099)/83/2022-1—तात्कालिक प्रभाव से श्री रामप्रीत प्रसाद, अनु सचिव, राजस्व विभाग को एतद्द्वारा स्थानांतरित करते हुये अनुसचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग के पद पर तैनात किया जाता है।

2—श्री रामप्रीत प्रसाद को निर्देशित किया जाता है कि वह नवीन तैनाती/आवंटित विभाग में बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये तत्काल योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

आज्ञा से,
रचना गुप्ता,
संयुक्त सचिव।

नियुक्ति

16 अगस्त, 2022 ई0

सं0 20-1001(002)/5/2022-1-1/201649/2022—उ0प्र0 सचिवालय सेवा के निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से अनुभाग अधिकारी के पद पर (वेतनमान रु0-15,600-39,100 ग्रेड वेतन रूपये -5,400) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 में नियमित पदोन्नति प्रदान करते हुए स्तम्भ-5 में उल्लिखित विभाग में एतदद्वारा तैनात किया जाता हैः—

क्र0	समीक्षा अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती विभाग का नाम	नवीन तैनाती का विभाग
1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—			
1	विमलेश कुमार सिंह	3530	माध्यमिक शिक्षा विभाग	कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
2	किशोर टण्डन	3531	सचिवालय प्रशासन विभाग	कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
3	प्रदीप कुमार सिंह	3532	ग्राम्य विकास विभाग	बेसिक शिक्षा विभाग
4	जय प्रकाश सिंह	3533	सचिवालय प्रशासन विभाग	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
5	राम प्रताप यादव	3534	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	न्याय विभाग
6	सुनी कुमार तिवारी	3535	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
7	संदीप त्रिपाठी	3536	आबकारी विभाग	न्याय विभाग
8	सुरेश कुमार	3537	गृह विभाग	गृह विभाग

1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–			
9	कौशल कुमार पाण्डेय	3538	सचिवालय प्रशासन विभाग	प्राविधिक शिक्षा विभाग
10	राम उग्रह मौर्य	3539	ग्राम्य विकास विभाग	ग्राम्य विकास विभाग
11	दिनेश वर्मा	3540	राजस्व विभाग	राजस्व विभाग
12	सत्य प्रकाश तिवारी	3541	उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग	पंचायती राज विभाग
13	प्रदीप कुमार गुप्ता	3542	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
14	ओम प्रकाश पाण्डेय	3543	खाद्य एवं रसद विभाग	पंचायती राज विभाग
15	प्रतीक शर्मा	3544	एन0आर0आई0 विभाग	एन0आर0आई0 विभाग
16	राजीव कुमार दुबे	3545	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
17	दिलीप कुमार गुप्ता	3546	लोक निर्माण विभाग	नागरिक सुरक्षा विभाग
18	उमाकांत त्रिपाठी	3548	सचिवालय प्रशासन विभाग	पशुधन विभाग
19	बाके विहारी	3549	गृह विभाग	गृह विभाग
20	अखिलेश कुमार सिंह	3550	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
21	जय गोविन्द पाण्डेय	3551	नियोजन विभाग	नियोजन विभाग
22	परशुराम आर्य	3552	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
23	संजीव कुमार शर्मा	3553	वित्त विभाग	वित्त विभाग
24	रमेश कुमार	3555	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग
25	दुर्गा प्रसाद पाठक	3556	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद विभाग/राजनैतिक पेंशन विभाग
26	शैलेश कुमार सिंह	3557	औद्यौगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग	औद्यौगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग
27	बृज मोहन	3558	कार्मिक विभाग	परिवहन विभाग
28	विजय प्रकाश गोविल	3559	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग	राजस्व विभाग
29	अम्ब्रीश कुमार श्रीवास्तव	3560	लोक निर्माण विभाग	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद विभाग/राजनैतिक पेंशन विभाग

1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–			
30	सूर्यनारायण पाण्डेय	3561	वित्त विभाग	वित्त विभाग
31	अमित कुमार सिंह	3562	कृषि विभाग	परती भूमि विकास विभाग
32	सूर्य प्रकाश पाण्डेय	3563	गोपन विभाग	गोपन विभाग
33	विजय यादव	3564	माध्यमिक शिक्षा विभाग	माध्यमिक शिक्षा विभाग
34	विनय कुमार राय	3565	वित्त विभाग	वित्त विभाग
35	प्रमोद कुमार उपाध्याय	3566	माध्यमिक शिक्षा विभाग	समन्वय विभाग
36	आलोक कुमार पाण्डेय	3569	राजस्व विभाग	राजस्व विभाग
37	श्वेतांक तिवारी	3570	ब्राह्मसहायतित परियोजना विभाग	ब्राह्मसहायतित परियोजना विभाग
38	नवनीत कुमार तिवारी	3571	राजस्व विभाग	राजस्व विभाग
39	देवी दयाल पाण्डेय	3573	गृह विभाग	गृह विभाग
40	धनुर्धर द्विवेदी	3574	भूतत्व-एवं खनिकर्म विभाग	उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग
41	महेन्द्र मिश्र	3575	नियोजन विभाग	नियोजन विभाग
42	मिथिलेश सिंह यादव	3576	परिवहन विभाग	परिवहन विभाग
43	आलोक	3577	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग	परिवहन विभाग
44	अखिलेश कुमार पाण्डेय	3578	लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग
45	विनोद कुमार यादव	3580	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	वित्त विभाग
46	सरिता सिंह	3582	विधायी विभाग	विधायी विभाग
47	कमला शंकर मिश्र	3583	पर्यटन विभाग	वित्त विभाग
48	देवेश कुमार मिश्रा	3584	संस्कृत विभाग	राज्य सम्पति विभाग
49	वंदित कुमार श्रीवास्तव	3585	नगर विकास विभाग	नगर विकास विभाग
50	संजीव कुमार त्रिवेदी	3586	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	वित्त विभाग
51	अरविनद कुमार राठौर	3587	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग
52	नरेन्द्र कुमार राय	3588	प्राविधिक शिक्षा विभाग	वित्त विभाग
53	ओम प्रकाश त्रिपाठी	3589	नियुक्ति विभाग	नियुक्ति विभाग
54	विजय कुमार सिंह	3590	चिकित्सा शिक्षा विभाग	चिकित्सा शिक्षा विभाग

1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–			
55	गुंजन सिंह	3592	गृह विभाग	गृह विभाग
56	विमलेश कुमार ओझा	3594	गोपन विभाग	राजस्व विभाग
57	संयोग कुमार राजपूत	3596	ब्राह्म सहायतित परियोजना विभाग	राजस्व विभाग
58	महेन्द्र विक्रम सिंह	3597	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग	राज्य सम्पत्ति विभाग
59	मान विजय सिंह	3598	सचिवालय प्रशासन विभाग	ऊर्जा विभाग
60	शिव किशोर	3599	गृह विभाग	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
61	धिरेन्द्र कुमार उपाध्याय	3600	आयुष विभाग	आयुष विभाग
62	राकेश कुमार मौर्य	3601	विधायी विभाग	विधायी विभाग
63	राजन भारती	3602	राजस्व विभाग	उच्च शिक्षा विभाग
64	अमृत सिंह यादव	3603	खेल विभाग	वित्त विभाग
65	मीरा तिवारी	3604	वित्त विभाग	वित्त विभाग
66	अशोक मुमार चौरसिया	3605	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
67	रत्नाकर पाण्डेय	3606	नगर विकास विभाग	वित्त विभाग
68	विजय प्रकाश	3607	नियोजन विभाग	नियोजन विभाग
69	वाग्मिता सिंह	3608	पर्यावरण तथा वन्य जलवायु परिवर्तन विभाग	वित्त विभाग
70	रविन्द्र कुमार चौहान	3609	न्याय विभाग	न्याय विभाग
71	आसू कुमार	3610	पंचायती राज विभाग	वित्त विभाग
72	मुमताज हुसैन	3611	वित्त विभाग	वित्त विभाग
73	लक्ष्मीकान्त	3613	गृह विभाग	राजस्व विभाग
74	धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	3615	धर्मार्थ विभाग	समाज कल्याण विभाग
75	प्रिया सेठ वर्मा	3616	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग
76	संजय कुमार सिंह	3618	न्याय विभाग	न्याय विभाग
77	पूजा पाण्डेय	3620	नियुक्ति विभाग	नियुक्ति विभाग
78	गन्धर्व सिंह	3621	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–			
79	सुरेन्द्र प्रताप सिंह	3622	सिचाई एवं जल संसाधन विभाग	वित्त विभाग
80	जय लाल	3623	समाज कल्याण विभाग	समाज कल्याण विभाग
81	सचिन कुमार श्रीवास्तव	3624	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

2– उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम नयायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11266/2021 हरि शंकर नाथ तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, संख्या 011277-011280/2021 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 020938-020941/2021 अंशु जैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 011261-011262/2021 श्याम कुमार चौबे व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 1336 (एसबी)/2012 अरविन्द प्रकाश व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 1066 (एसबी)/2012 पूर्णेन्दु कुमार मिश्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 1504(एसबी)/2014 बसंत कुमार तिवारी व अनय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 1505(एसबी)/2014 चन्दन कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य, रिट याचिका संख्या 3717/2017 नवीन कुमार व अनय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 7521/(एसएस)/2015 जगजीवन राम व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

सं0 20-1001(002)/5/2022-1-/201652/2022–उ0प्र0 सचिवालय सेवा के निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से अनुभाग अधिकारी के पद पर (वेतनमान रु0-15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0-5,400) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 में नियमित पदोन्नति प्रदान करते हुए स्तम्भ-5 में उल्लिखित विभाग में एतदद्वारा तैनात किया जाता हैः–

क्र0	समीक्षा अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती विभाग का नाम	नवीन तैनाती का विभाग
1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–			
1	नीरज सक्सेना	2856	सूचना विभाग	सूचना विभाग
2	सुनीता मिश्रा	2868	भाषा विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
3	प्रवीण कपूर	2873	पर्यावरण तथा वन्य जलवायु परिवर्तन विभाग	पर्यावरण तथा वन्य जलवायु परिवर्तन विभाग
4	हरेन्द्र सिंह फर्त्याल	2885	गोपन विभाग	गोपन विभाग
5	अनूप कुमार	2912	सचिवालय प्रशासन विभाग	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
6	नन्द किशोर सुकुल	2915	वित्त विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
7	अशोक कुमार कनौजिया	2926	गृह विभाग	गृह विभाग

1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–			
8	विनीत कुमार शर्मा	2928	गोपन विभाग	ग्राम्य विकास विभाग
9	गोपाल सिंह	2929	प्राविधिक शिक्षा विभाग	प्रविधिक शिक्षा विभाग
10	निशि कान्त	2939	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
11	वीरेन्द्र कुमार पन्त	2961	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् विभाग/ राजनैतिक पेंशन विभाग	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् विभाग/ राजनैतिक पेंशन विभाग
12	प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	2972	कार्मिक विभाग	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
13	सार्जन बाबू श्रीवास्तव	2973	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग
14	राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय	2975	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग
15	संतोष कुमार	2989	सचिवालय प्रशासन विभाग	सचिवालय प्रशासन विभाग
16	राजेश कुमार तिवारी	2995	वित्त विभाग	वित्त विभाग
17	गुरू प्रसाद	3011	गृह विभाग	गृह विभाग
18	दिलीप सिंह बोरा	3016	लोक सेवा प्रबंधन विभाग	आयुष विभाग
19	रमेश तिवारी	3019	सचिवालय प्रशासन विभाग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
20	राजेन्द्र कुमार पाठक	3028	कारागार प्रशासन विभाग	कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
21	नीता माथुर	3029	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
22	ओम प्रकाश गुप्ता	3032	कार्मिक विभाग	कार्मिक विभाग
23	रजा हुसैन	3033	गृह विभाग	गृह विभाग
24	कमल कुमार भटट	3040	पर्यावरण तथा वन्य जलवायु परिवर्तन विभाग	पर्यावरण तथा वन्य जलवायु परिवर्तन विभाग
25	रमेश खरे	3047	गृह विभाग	गृह विभाग
26	मुदस्सिर हुसैन	3055	श्रम विभाग	श्रम विभाग
27	रवीन्द्र कुमार रावत	3060	सचिवालय प्रशासन विभाग	सचिवालय प्रशासन विभाग
28	अनिल कुमार श्रीवास्तव	3066	वित्त विभाग	वित्त विभाग

1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–			
29	देवन्द्र कुमार श्रीवास्तव	3071	सतर्कता विभाग	ग्राम्य विकास विभाग
30	जिया अहमद खाँ	3092	उद्यान विभाग	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
31	अमर नाथ वर्मा	3094	प्रविधिक शिक्षा विभाग	औधोगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग
32	नरेन्द्र कुमार वर्मा	3097	सचिवालय प्रशासन विभाग	सचिवालय प्रशासन विभाग
33	लालजी वर्मा	3101	संसदीय कार्य विभाग	संसदीय कार्य विभाग
34	बेचू	3103	सचिवालय प्रशासन विभाग	सचिवालय प्रशासन विभाग
35	राम प्रताप यादव	3114	माध्यमिक शिक्षा विभाग	माध्यमिक शिक्षा विभाग
36	प्रेम लता साहू	3118	उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग	उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग
37	अवधेश कुमार तिवारी	3127	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग	चिकित्सा शिक्षा विभाग
38	सरोज बाला मिश्रा	3144	वित्त विभाग	वित्त विभाग
39	शशि प्रभा	3147	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा विभाग
40	दिलीप कुमार मिश्रा	3148	संसदीय कार्य विभाग	ग्राम्य विकास विभाग
41	अखिलेश कुमार अवस्थी	3149	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग	ग्राम्य विकास विभाग
42	राधेश्याम तिवारी	3151	न्याय विभाग	न्याय विभाग
43	मिथलेश शुक्ला	3155	गृह विभाग	होम गार्डस विभाग
44	विनोद शर्मा	3159	सचिवालय प्रशासन विभाग	चिकित्सा शिक्षा विभाग
45	नीलेश चन्द्र गुप्ता	3160	रेशम विभाग	रेशम विभाग
46	नीरू शर्मा	3162	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
47	रीता अवस्थी	3168	खाद्य तथा रसद् विभाग	खाद्य तथा रसद् विभाग
48	होनहार	3171	सचिवालय प्रशासन विभाग	सचिवालय प्रशासन विभाग
49	रेखा रानी गुप्ता	3175	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग	राज्य कर विभाग
50	अवधेश कुमार	3176	बेसिक शिक्षा विभाग	बेसिक शिक्षा विभाग
51	सुमन मेहतानी	3182	सचिवालय प्रशासन विभाग	राज्य कर विभाग

1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–			
52	संगीता भटनागर	3183	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग	राज्य कर विभाग
53	जयमाला नागरानी	3185	कृषि विभाग	कृषि विभाग
54	राकेश कुमार	3186	सचिवालय प्रशासन विभाग	कृषि विभाग
55	भारती पाण्डेय	3191	वित्त विभाग	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग
56	सुरेश सिंह गौतम	3197	धर्मार्थ कार्य विभाग	कार्मिक विभाग
57	दिलवन्त सिंह	3199	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
58	सुदीप शर्मा	3208	विज्ञान एवं प्रोधोगिकी अनुभाग	कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग
59	चन्द्रभानु	3213	सचिवालय प्रशासन विभाग	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
60	अजय कुमार निगम	3224	प्रशुधन विभाग	गोपन विभाग
61	शिखा श्रीवास्तव	3235	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
62	रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	3236	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग
63	रजवन्त कौर	3242	गोपन विभाग	गोपन विभाग
64	विजय शंकर शर्मा	3244	सचिवालय प्रशासन विभाग	लोक निर्माण विभाग
65	आभा भटनागर	3248	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
66	सविता दत्त	3249	खा़द्य तथा रसद विभाग	खा़द्य तथा रसद विभाग
67	श्री पाल	3261	गृह विभाग	गृह विभाग
68	ओंकार नाथ तिवारी	3262	खा़द्य तथा रसद् विभाग	खा़द्य तथा रसद् विभाग
69	रमा शंकर सिंह	3265	वित्त विभाग	वित्त विभाग
70	शिव पाल	3266	कार्मिक विभाग	गोपन विभाग

2–उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–11266/2021 हरिशंकर नाथ तिवारी अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, संख्या 011277-011280/2021 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 020938-020941/2021 अंशु जैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 011261-011262/2021 श्याम कुमार चौबे व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा

मा0 उच्च न्यायालय में याजित रिट याचिका संख्या 1336(एसबी)2012 अरविन्द प्रकाश व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या–1066(एसबी)2012 पूर्णेन्दु कुमार मिश्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 1504(एसबी)2014 बसंत कुमार तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 1505(एसबी)/2014 चन्दन कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य, रिट याचिका संख्या–3717/2017 नवीन कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 7521/(एसएस)/2015 जगजीवन राम व अन्य पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के आधीन होगी।

आज्ञा से,
हेमन्त राव
अपर मुख्य सचिव।

01 सितम्बर, 2022

पदोन्नति/तैनाती

सं0 20-1001(002)/2/2022-1-207/657/2022–श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री प्रभागर चन्द्र मिश्र, उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग को वर्तमान तैनाती के विभाग में ही संयुक्त सचिव के पद [वेतनमान रु0–37,400–67,000(ग्रेड वेतन 8,700), पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल–13] पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री प्रभागर चन्द्र मिश्र को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री प्रभाकर चन्द्र मिश्र की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगें।

आज्ञा से,
जय प्रकाश पाण्डेय,
संयुक्त सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

06 जुलाई, 2022 ई0

सं0 686/22-पच्चीस-1-7-2/7/95–सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री मनीष कुमार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 08 मार्च, 2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश की माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं0 691/22-पच्चीस-1-7-2/7/95–सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री मो0 फैज़ आलम खाँ, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 28 मार्च, 2022 से 01 अप्रैल, 2022 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश की माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

(पुलिस सेवायें)

अनुभाग-1

प्रोन्नति

04 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 503/छःपु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021–चयन वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 01 जनवरी, 2022 को सम्पन्न बैठक

में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति पत्र संख्या 65/03/पी0/सेवा-1/2021–2022, दिनांक 04 जनवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। तद्क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 19/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021, दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष 26 पुलिस निरीक्षकों, कार्यालय आदेश संख्या 200/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021, दिनांक 02 फरवरी, 2022 को 04 पुलिस निरीक्षकों व कार्यालय आदेश संख्या 428/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021, दिनांक 09 मार्च, 2022 को 07 अर्थात् कुल 37 पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने का आदेश निर्गत किया जा चुका है।

2–अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-दो/ब-61ए/2021-22, दिनांक 23 मार्च, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार माह मार्च, 2022 में कुल 08 रिक्तियां उपलब्ध हो रही हैं।

अतः चयन वर्ष 2021-2022 में मार्च, 2022 में उक्तानुसार उपलब्ध 08 रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुरनीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

क्र0	पी0एन0ओ0 नं0	कार्मिक का नाम	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	जन्म तिथि
1	2	3	4	5
		सर्वश्री/श्रीमती–		
1	902770025	प्रमोद कुमार झां	62	11-12-1962
2	902510355	जगदीश कुमार	63	10-12-1964
3	900820483	महेश त्यागी	64	02-07-1967
4	902650538	अशोक कुमार सिसौदिया	66	16-11-1967
5	902460647	परवेज आलम	67	15-06-1965
6	902330120	अमरदीप लाल	68	05-11-1965
7	902232051	नीलम शर्मा	69	08-03-1966
8	902590311	आलोक सक्सेना	71	28-06-1962

3–प्रश्नगत चयन रिट याचिका संख्या 34799 (एस/एस)/2019 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 410/2021 उ0प्र0 राज्य बनाम विजय सिंह तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित रिट याचिका संख्या 20914/2018 केशवचन्द्र राय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं तद्सम्बन्धी अन्य रिट याचिकाओं सहित यदि कोई प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4–उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी

प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू0/ए0सी0ओ0/सीबीसीआईडी/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5—पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रोन्नत कोटे में रिक्त वास्तविक रूप से उपलब्ध है। प्रोन्नति कोटा में वास्तविक रूप से रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नत आदेश के सापेक्ष निर्गत किया जायेगा।

6—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

नियुक्ति

15 जून, 2022 ई0

सं0 832/6-पु0-1-22-1300(18)/92 टीसी—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 के नियम 14 के अन्तर्गत अवधारित सहायक रेडियो अधिकारी के विद्यमान रिक्त 02 पदों (अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित) को साक्षात्कार के उपरान्त सहायक रेडियो अधिकारी पद पर संस्तुत/चयनित अभ्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत् है, को उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 के नियम 18(1) के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा में सहायक रेडियो अधिकारी के साधारण वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400 (7वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100—1,57,700) में स्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0 सं0	रजि0 नं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	श्रेणी	जन्म तिथि
1	2	3	4	5
		सर्वश्री—		
1	53600169689	राहुल कुमार पुत्र श्री सर्वेश कुमार	एस0सी0	05-01-1997
2	53600006628	शिव शंकर पुत्र श्री सत्य नारायण	एस0सी0	12-08-1995

2—इन पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत एवं उ0प्र0 पुलिस रेडियो शाखा में अनुमन्य वेतन, महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

3—इन अधिकारियों की नियुक्तियां प्रथमतः अस्थायी होंगी। 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर इनके स्थायीकरण पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

4—नियुक्त किये गये अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिये पुलिस रेडियो संगठन व पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

5—उपर्युक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

6—नियुक्त अभ्यर्थियों से नियमानुसार संगत प्रारूप पर इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा, समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, एक से अधिक

पति/पत्नी न होने की घोषणा, दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र आदि दो प्रतियों में प्राप्त करने की कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

प्रोन्नति

19 जुलाई, 2022 ई0

सं0 1337/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021—चयन वर्ष 2021—2022 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 01 जनवरी, 2022 को नियमित चयन व दिनांक 24 फरवरी, 2022 को अनुपूरक चयन हेतु सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति पत्र संख्या 65/03/पी0/सेवा-1/2021-2022, दिनांक 04 जनवरी, 2022 व संख्या 119/08/पी0/सेवा-1/2021-2022, दिनांक 28 फरवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जिसके क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 19/छः पु0से0-1-2022-01 (अधियाचन) दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष-26 पुलिस निरीक्षकों, कार्यालय आदेश संख्या 200/ छः पु0से0-1-2022-01 (अधियाचन)/2021 दिनांक 02 फरवरी, 2022 को 04 पुलिस निरीक्षकों व कार्यालय आदेश संख्या 428/ छः पु0से0-1-2022-01 (अधियाचन)/2021 दिनांक 09 मार्च, 2022 को 07 तथा कार्यालय आदेश संख्या 503/ छः पु0से0-1-2022-01 (अधियाचन)/2021 दिनांक 04 अप्रैल, 2022 द्वारा 08 तथा कार्यालय आदेश संख्या 639/ छः पु0से0-1-2022-01 (अधियाचन)/2021 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 को 34 व कार्यालय आदेश संख्या 831/ छः पु0से0-1-2022-01 (अधियाचन)/2021 दिनांक 18 मई, 2022 को 06, कार्यालय आदेश संख्या 966/ छः पु0से0-1-2022-01 (अधियाचन)/2021 दिनांक 14 जून, 2022 द्वारा 04 अर्थात कुल 89 पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने का आदेश निर्गत किया जा चुका है।

2—उल्लेखनीय है कि चयन वर्ष 2021-2022 में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज में आहूत विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2022 के उपरान्त चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु संस्तुत चयन सूची के क्रमांक-41 पर अंकित कार्मिक श्री राजेश कुमार भारती (पुराना ज्येष्ठता क्रमांक-260 नया ज्येष्ठता क्रमांक-122) के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना दिनांक 28 अप्रैल, 2022 के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा आदेश संख्या द-119/2021 दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 के द्वारा श्री भारती को परिनिन्दा का दण्ड प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में शासन के पत्र दिनांक 28 मई, 2022 द्वारा श्री राजेश कुमार भारती पुलिस निरीक्षक के सम्बन्ध में प्रोन्नति के समय चयन समिति के समक्ष त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री राजेश कुमार भारती, पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध परिनिन्दा दण्ड होने के दृष्टिगत उनकी पदोन्नति रोकते हुए शेष कार्मिकों का माह जून, 2022 में उपलब्ध वास्तविक रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति आदेश निर्गत किया जाना है एवं श्री राजेश कुमार भारती की चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को निरस्त किये जाने हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

3—अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-दो/ब-61/2021-22, दिनांक 07 जुलाई, 2022 द्वारा माह जून, 2022 के रिक्ति के सापेक्ष माह जुलाई, 2022 में प्रोन्नति हेतु 06 पुलिस निरीक्षकों का वर्तमान में प्रचलित/लम्बित जाँच/विभागीय कार्यवाही/सतर्कता जाँच एवं अभियोग की अद्यतन स्थिति/वर्तमान प्रगति से सम्बन्धित शून्य सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जबकि श्री दिनेश कुमार सिंह पी0एन0ओ0 860521240 ज्येष्ठता क्रमांक पुराना-272 एवं ज्येष्ठता क्रमांक नया-129 जन्मतिथि 09-07-1963 के विरुद्ध पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक (प0), भ्र0नि0सं0 उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी-1-4/2022 (भ्र0नि0सं0) दिनांक 17 जून, 2022 में उक्त निरीक्षक के विरुद्ध जाँच पत्रावली संख्या 9665/वाराणसी (884)/01/2020(3) पर खुली जाँच सम्पादित होने, जिसमें श्री दिनेश कुमार सिंह के विरुद्ध जाँच में 05 अन्य आरोप प्रमाणित पाये जाने पर इनकी वर्ष 2018 व 2019 की सत्यनिष्ठा रोके जाने एवं विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित प्रस्ताव दिनांक 15 जून, 2022 के दृष्टिगत श्री दिनेश कुमार सिंह, प्रतिसार निरीक्षक की प्रोन्नति अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है।

4—अतः चयन वर्ष 2021-2022 में उक्तानुसार उपलब्ध 11 रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित 06 निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39, 100 ग्रेड-पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिकस पे-लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0	पी0एन0ओ0 नं0	प्रतिसार निरीक्षक/दल नायक का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक (पुराना)	ज्येष्ठता क्रमांक (नया)	जन्म तिथि
1	2	3	4	5	6
		सर्वश्री—			
1	952251895	हरेन्द्र सिंह यादव	261	123	01-07-1973
2	860897664	श्रीप्रकाश दूबे	271	128	01-01-1963
3	840898889	कमला सिंह	274	130	01-10-1964
4	890774249	घनश्याम सिंह	278	131	23-03-1965
5	890450318	विनोद कुमार दूबे	279	132	01-05-1965
6	890660025	प्रियतोष त्रिपाठी	280	133	01-01-1965

5—प्रश्नगत चयन रिट याचिका संख्या 34799(एस/एस)/2019 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 410/2021 उ0प्र0 राज्य बनाम विजय सिंह तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित रिट याचिका संख्या 20914/2018 केशवचन्द्र राय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं तद्सम्बन्धी अन्य रिट याचिकाओं सहित यदि कोई प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

6—उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू0/ए0सी0ओ0/सीबीसीआईडी/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7—पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रोन्नत कोटे में रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। प्रोन्नति कोटा में वास्तविक रूप से रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नति आदेश निर्गत किया जायेगा।

8—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—28 हिन्दी गज़ट—भाग 1—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 8 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 16, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

प्रारूप–18
(नियम-20 का उपनियम–2)
समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना
(अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत

13 सितम्बर, 2022 ई0

सं0–पी0-52/आठ-अ0जि0 (भू0अ0) कानपुर नगर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद कानपुर नगर में 2000 मेगावाट तापीय विद्युत् गृह की स्थापना हेतु समुचित सरकार/कलेक्टर की राय है कि नेवेली उ0प्र0 पावर लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 2000 मेगावाट तापीय विद्युत् गृह की स्थापना हेतु राजस्व ग्राम-लहुरीमऊ कासिमपुर, बगरिया, असवारमऊ, रामपुर, सिधौल, धरछुआ व सिरसा की कुल 12.3114 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी जियोग्रीन इन्चायरों हाउसिंग प्रा0लि0 अलीगंज लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गई है, जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र सं0-1561/चौबीस-पी-3-2022-1030/2022 दिनांक 30 अगस्त, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

(क) नेवेली उ0प्र0 पावर लि0 द्वारा 2000 मेगावाट तापीय विद्युत गृह की स्थापना होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होगें। जैसे परिवहन, ढ़ाबा, आवास शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं विद्युत आदि की सुविधाओं में वृद्धि होगी। सम्भावना है कि उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों का आर्थिक रूप से विकास होगा एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

(ख) परियोजना के निर्माण के क्रियान्वयन से सम्भावित नकारात्मक प्रभावों के सापेक्ष सकारात्मक प्रभाव अधिक है।

4—भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत् ग्रामों में कोई परिवार विस्थापित नही होगा।

5—उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-414/एक-13-2014-7क(8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा सम्बन्धित तहसील के यथास्थिति सहायक कलेक्टर या उपकलेक्टर को उनकी अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस शासनादेश के अनुक्रम में उप जिलाधिकारी घाटमपुर को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

6—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
कानपुर नगर	घाटमपुर	घाटमपुर	लहुरीमऊ कासिमपुर	269-मि0	0.2050
				367/1584	0.0450
				932-ख	0.0431
				448	0.0059
				659-क	0.1107
				659-ख	0.0859
				109	0.1170
				110	0.2050
				112	0.6040
				118	0.3250
				129	2.1110
				133	0.1800
				142	0.2690
				153	0.0150
				156	0.4300
				168	0.1038
				172	0.1600
				211	0.0330

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
कानपुर नगर	घाटमपुर	घाटमपुर	लहुरीमऊ कासिमपुर	605	0.01333
				618	0.0275
				620	0.0320
				621	0.0580
				626	0.2968
				627	0.17011
				629	0.12582
				648	0.1111
				653	0.0310
				898	0.0440
				900	0.0158
				901-क	0.0183
				927	0.0100
				901-ख	0.0192
				909-क	0.1210
				909-ख	0.1008
				909	0.0427
				962	0.0091
				963	0.0205
				647-क	0.0157
				923	0.1149
				924	0.0664
				925	0.0752
				152	0.1230
				155	0.0660
				643	0.0512
				959-ग	0.0025
				959-ख	0.0263

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
कानपुर नगर	घाटमपुर	घाटमपुर	लहुरीमऊ कासिमपुर	959-घ	0.0396
				959-ड़	0.0132
				959-क	0.0528
			बगरिया	16	0.0557
				55-मि0	0.2050
				57/1	0.8192
				58/3	0.1280
				88-मि0	0.2360
				88-मि0	0.2050
				97	0.0177
				1	0.0256
				90	0.0400
				92	0.0700
			असवारमऊ	127	0.5314
				292	0.0435
				295	0.0934
				329	0.0600
				350-क	0.0139
				350-झ	0.0675
				350-ब	0.1440
				445	0.0175
				312	0.05096
				313	0.06027
				315	0.0105
				316	0.1890
				446-क	0.0385
				350-च	0.6070
				311	0.1055

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
कानपुर नगर	घाटमपुर	घाटमपुर	रामपुर	901	0.0100
				1309-ख	0.0203
				1305	0.0459
				1343	0.2033
				1322	0.1529
				1318	0.0066
			सिधौल	114	0.1540
				117	0.1640
				118	0.0920
				544-मि0	0.1580
				225	0.3958
				509-मि0	0.0290
				509-ख	0.0190
				509-मि0	0.0089
				509	0.01281
			धरछुआ	634	0.0200
			सिरसा	409	0.0215
				योग ..	**12.3114**

7—अधिनियम की धारा-12 के अर्न्तगत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

8—अधिनियम की धारा-15 के अर्न्तगत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9—अधिनियम की धारा-11(4) के अर्न्तगत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड कानपुर नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

Form-18

(Sub-rule-2 of rule 20)

Preliminary Notification by Appropriate Government/Collector

(Under sub-section (1) of section 11 of the Act, 2013)

NOTIFICATION

September 13, 2022

No. P-52/VIII-A.D.M. (L.A.) Kanpur Nagar–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the appropriate Government/Collector is satisfied that a total of 12.3114 hectares of land is required in the revenue Village-Lahurimau Kasimpur, Bagaria, Aswarmau, Rampur, Sidhaul, Dharchua and Sirsa of Tehsil-Ghatampur District-Kanpur Nagar for public purpose namely "Project for 2000 MW thermal power plant" through Neyveli U.P. Power Ltd.

2. Social Impact Assessment study was carried out by Geogreen Enviro Housing Pvt. Ltd. Aliganj Lucknow as Social Impact Assessment Agency and submitted its recommendations to the Appropriate Government which has approved the vide Letter No.1561/24-P-3-2022-1030/2022 dated 30.08.2022.

3. The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows:-

(*a*) With the establishment of 2000 MW thermal power plant by Neyveli Uttar Pradesh Power Ltd, people will get various types of employment opportunities directly and indirectly. For example, there will be an increase in the facilities of transport, dhaba, housing, education, health, Road and electricity *etc.* It is likely that as a result of the implementation of the said project, the people of the area will develop economically and better facilities will be available.

(*b*) The positive effects of the implementation of the construction of the project are greater than the possible negative effects.

4. Due to land acquisition, no family is being displaced in the said Villages.

5. The Government of Uttar Pradesh through his Notification No.414/A-13-2014-7A(8)/2014 Lucknow dated 06.08.2014 has provided that the Assistant Collector or Deputy Collector as the case may be, of the concerned Tehsil shall be appointed "Administrator for Rehabilitation and Resettlement" of the affected families within the respective territorial jurisdictions thereof according to the said Government order, the Deputy Collector Ghatampur District-Kanpur Nagar is appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families within the respective territorial jurisdictions.

6. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that land mentioned in the schedule given below is needed for public purpose.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Village	Gata No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Kanpur Nagar	Ghatampur	Ghatampur	Lahurimau Kasimpur	269-Mi	0.2050
				367/1584	0.0450

1	2	3	4	5	6
					Hectares
Kanpur Nagar	Ghatampur	Ghatampur	Lahurimau Kasimpur	932-Kha	0.0431
				448	0.0059
				659-Ka	0.1107
				659-Kha	0.0859
				109	0.1170
				110	0.2050
				112	0.6040
				118	0.3250
				129	2.1110
				133	0.1800
				142	0.2690
				153	0.0150
				156	0.4300
				168	0.1038
				172	0.1600
				211	0.0330
				605	0.01333
				618	0.0275
				620	0.0320
				621	0.0580
				626	0.2968
				627	0.17011
				629	0.12582
				648	0.1111
				653	0.0310
				898	0.0440
				900	0.0158
				901-Ka	0.0183
				927	0.0100
				901-Kha	0.0192
				909-Ka	0.1210

1	2	3	4	5	6
					Hectares
Kanpur Nagar	Ghatampur	Ghatampur	Lahurimau Kasimpur	909 Kha	0.1008
				909	0.0427
				962	0.0091
				963	0.0205
				647-KA	0.0157
				923	0.1149
				924	0.0664
				925	0.0752
				152	0.1230
				155	0.0660
			Lahurimau	643	0.0512
			Kasimpur	959-Ga	0.0025
				959-Kha	0.0263
				959-Gha	0.0396
				959-Enga	0.0132
				959-Ka	0.0528
			Bagariya	16	0.0557
				55-Mi	0.2050
				57/1	0.8192
				58/3	0.1280
				88-Mi	0.2360
				88-Mi	0.2050
				97	0.0177
				1	0.0256
				90	0.0400
				92	0.0700
			Aswarmau	127	0.5314
				292	0.0435
				295	0.0934
				329	0.0600
				350-Ka	0.0139
				350-Jha	0.0675

1	2	3	4	5	6
					Hectares
Kanpur Nagar	Ghatampur	Ghatampur	Aswarmau	350-Ba	0.1440
				445	0.0175
				312	0.05096
				313	0.06027
				315	0.0105
				316	0.1890
				446-Ka	0.0385
				350-Chaa	0.6070
				311	0.1055
			Rampur	901	0.0100
				1309-Kha	0.0203
				1305	0.0459
				1343	0.2033
				1322	0.1529
				1318	0.0066
			Sidhoul	114	0.1540
				117	0.1640
				118	0.0920
				544 Mi	0.1580
				225	0.3958
				509-Mi	0.0290
				509-Kha	0.0190
				509-Mi	0.0089
				509	0.01281
			Dharchhua	634	0.0200
			Sirsa	409	0.0215
				Total..	**12.3114**

7. The Governer is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.
8. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

9. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale / purchase in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed without prior approval of the Collector.

NOTE–A Site Plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Additional District Magistrate (L.A.) 37/17 Westcott Building Mall Road, Kanpur Nagar.

(*Sd.*) ILLIGEBLE,
Collector,
Kanpur Nagar.

कार्यालय, जिलाधिकारी, सोनभद्र

प्रारुप-19

(नियम 27 का उपनियम (1))

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

29 सितम्बर, 2022 ई0

विभाग का नाम–कार्यालय विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (सिंचाई) मीरजापुर।

अधिसूचना

सं0 1168/ आठ–वि0भू0अ0अ0(सिं0)/मीरजापुर–उप मुख्य अभियन्ता निर्माण पूर्व मध्य रेलवे रेनूकूट सोनभद्र के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा करैला रोड़ से शक्तिनगर रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना हेतु जिला–सोनभद्र, तहसील-दुद्धी, परगना-सिंगरौली, ग्राम-अनपरा में स्थित 1.0890 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 3017 दिनांक 12 जुलाई, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रुप से प्रकाशित दिनांक 16 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल 0.4790 हे0 सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला-सोनभद्र, तहसील-दुद्धी, परगना-सिंगरौली, ग्राम-अनपरा की अनुसूची ''क'' में उल्लिखित भूमि के अर्जन से कोई भी कुटुम्ब विस्थापित नही हो रहा है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते है कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर सोनभद्र को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सोनभद्र	दुद्धी	सिंगरौली	अनपरा	209-च	0.2910
				238-क	0.0870
				234-ग	0.0580
				272	0.0430
				योग..	**0.4790**

अनुसूची–ख
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रुप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
अनुसूची ''क'' में उल्लिखित भूमि के अर्जन से कोई भी कुटुम्ब विस्थापित नही हो रहा है।					

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा जनपद– कलेक्टर सोनभद्र/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) मीरजापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

उप मुख्य अभियन्ता निर्माण पूर्व मध्य रेलवे रेनूकूट सोनभद्र के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की करैला रोड़ से शक्तिनगर रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना हेतु जिला-सोनभद्र, तहसील-दुद्धी, परगना-सिंगरौली, ग्राम-अनपरा में स्थित रकबा 0.4790 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1168 दिनांक 29.09.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

''करैला रोड़ से शक्तिनगर रेल लाईन दोहरी करण के निर्माण से नकारात्मक प्रभाव के सापेक्ष सकारात्मक प्रभाव काफी अधिक है प्रभावित परिवारों को इस सामाजिक समाघात आंकलन प्रतिवेदन में सुझायी गयी समन प्रक्रिया को अपनाते हुये वांछित भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिये के अनुसार भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों को भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत समस्त लाभ दिये जाय।'' अनुसूची ''क'' में उल्लिखित भूमि के अर्जन से कोई भी कुटुम्ब विस्थापित नही हो रहा है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर सोनभद्र/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) मीरजापुर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

FORM-19

[Sub-rule (1) of Rule 27]

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-section (1) of Section 19 of the Act]

NOTIFICATION

September 29, 2022

No. 1168/VIII–S.L.A.O.(Irrigation)/Mirzapur–Whereas preliminary notification no. 3017 dated 12-07-2021 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement act, 2013, in respect of 1.0890 hecteres of land in Village-Anapara, Pargana-Singrauli, Tehsil-Dudhi, District-Sonebhadra is required for public purpose, namely,

project Karaila Road to Shaktinagar Rail Line Doubling through Ministry of Railway and lastly published on dated 16.10.2021.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to decleare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.4790 hectares in Village- Anapara, Pargana-Singrauli, Tehsil- Dudhi, District- Sonebhadra as given in Schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement No family is getting displaced by the acquisition of land mentioned in Schedule-A

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the act, to direct the Collector of Sonebhadra to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to the effect. The summary of the rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Villate	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Sonebhadra	Duddhi	Singrauli	Anapra	209 च	0.2910
				238 क	0.0870
				234 ग	0.0580
				272	0.0430
				Total..	**0.4790**

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Villate	Plot no.	Area Earmarked for Rehabilitation In Hectare
1	2	3	4	5	6
No family is getting displaced by the acquisition of land mentioned in Schedule-A					

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Sonebhadra/ S.L.A.O., Mirzapur for the purpose of acquisition.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[Under Sub-section (2) of section 19 of the Act]

By the order of declaration made under Government notification No. 1168 date 29.09.2022, for 0.4790 hectares of land in Village- Anapara, Pargana-Singrauli, Tehsil- Dudhi, District- Sonebhadra is required for public purpose, namely, project Karaila Road to Shaktinagar Rail Line Doubling through Ministry of Railway, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme along with Government notification, a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is given below:

" Based on the Social Impact Assessment carried out by the agency, it is evident that the positive impacts associated with construction of Karaila Road to Shaktinagar Rail Line Doubling

Ministry of Railway are more than negative impacts, procedure suggested in the social impact assessment shall be followed while doing land acquisition from the indentified families all the measures suggested in the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 shall be followed to endure Fair Compensation and Rehabilitation and Resettlement Policy from the identified families in accordance with the procedure outlined in Social Impact Assessment Report. No family is getting displaced by the acquisition of land mentioned in Schedule-A.

The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector, Sonebhadra/ S.L.A.O., Mirzapur for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLIGEBLE,
Collector, Sonebhadra for the
Purpose of Land Acquisition.

कार्यालय, जिलाधिकारी, चित्रकूट

07 जून, 2022 ई0

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की अधिसूचना

सं0 81/आठ–वि0भू0अ0अ0/बांदा–भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा-1 के अन्तर्गत कलेक्टर चित्रकूट की राय है कि जनपद चित्रकूट में डिफेंस इन्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना के निर्माण हेतु जनपद चित्रकूट की तहसील कर्वी के ग्राम-खुटौरा व बक्टा बुजुर्ग की कुल रकबा–0.648 हे0 कृषक भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की गयी हैं, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2021 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है–

(1) आर्थिक रुप से पिछडे इस क्षेत्र का विकास होने से क्षेत्र में परिवहन आदि जैसी सेवाओं का विस्तार होगा, इससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा।

(2) देश आवश्यक रक्षा उपकरणों एवं हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जायेगा।

(3) रक्षा उपकरणों एवं हथियारों को विदेशों से आयात करने में व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की काफी बचत होगी।

(4) विदेशी उद्योमियों द्वारा निवेश किये जाने के फलस्वरुप विदेशी मुद्रा भण्डार में बृद्धि होगी

(5) इस क्षेत्र के अन्य विभिन्न स्थानों एवं क्षेत्रो हेतु आवागमन सुगम हो सकेगा।

(6) छोटे-छोटे काम धन्धे तथा ठेका, रेहडी आदि लगाने वाले व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

(7) स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से क्षेत्र के युवाओं का अन्य शहरों/नगरों में पलायन रुकेगा।

(8) रक्षा उपकरणों/हथियारों के व्यापक निर्माण से देश की जल, थल और नभ तीनो सेनाओं को इनकी सुगम आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

(9) मेक इन चित्रकूट की मोहर भी दुनिया में एक अलग पहचान बनायेगी।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल जनपद चित्रकूट में डिफेंस इन्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना के निर्माण हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
				हेक्टेयर
चित्रकूट	कर्वी	खुटौरा	20	0.193
			21	0.166
		बक्टा बुजुर्ग	54	0.289
			योग..	**0.648**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदायी करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

7—अधिनियम की धारा—15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा—11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कार्यालय कलेक्टर चित्रकूट/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बांदा में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

कार्यालय, जिलाधिकारी, महोबा

25 अप्रैल, 2022 ई0

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की अधिसूचना

सं0 19/आठ—वि0भू0अ0अ0/बांदा—भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा-1 के अन्तर्गत कलेक्टर महोबा की राय है कि जनपद न्यायाधीश महोबा द्वारा जनपद महोबा में बार परिसर को सम्मिलित करते हुए जनपद न्यायालय महोबा के निर्माण हेतु जनपद महोबा की तहसील महोबा के ग्राम-रहिलिया की रकबा 1.271 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी संस्तुतिया प्रस्तुत की गयी हैं, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 20.04.2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है—

जिला न्यायालय के निर्माण से आने वाले वर्षों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी और अदालत के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। परियोजना की पी0ए0एफ0 और आस पास के गांव के लोगो के लिए फलदायी साबित होगी।

यह आगे स्थापित किया जा सकता है कि निजी भूमि का अधिग्रहण करके और इस तरह परियोजना के निर्माण को पूरा करने के लिए एक सार्वजनिक उद्देश्य निश्चित रूप से पाया जायेगा। यदि परियोजना पूरी हो जाती है तो यह जरूरत के अनुसार और इमारत के विस्तार में सफल होगी। यदि परियोजना में देरी होती है, तो यह परियोजना की समग्र लागत में वृद्धि का कारण बनेगी, जिसे जिला अदालत और साथ ही इसके निवासियों/सम्बन्धित पक्ष दोनों प्रभावित होंगे। यदि परियोजना को रोक दिया जाता है, तो इससे न केवल धन की हानि होगी, बल्कि परियोजना पर खर्च की गयी पूरी मानव शक्ति और संसाधनों की भी बर्बादी होगी। इसलिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की सामाजिक लागतों और लाभों का आकलन यह मानकर किया जाता है कि परियोजना के स्थान या अधिग्रहीत की गयी भूमि की मात्रा में कोई बदलाव नही होगा।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल जनपद महोबा में बार परिसर को सम्मिलित करते हुए जनपद न्यायालय महोबा के निर्माण हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
				हेक्टेयर
महोबा	महोबा	रहिलिया	434मि0	0.352
			439मि0	0.919
			योग..	**1.271**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदायी करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) कलेक्ट्रेट महोबा एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बांदा में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
महोबा।

पी0एस0यू0पी0—28 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 8 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 16, 1944 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख — 30 सितम्बर, 2022 ई0 / 08 आश्विन, 1944 (शक)

शुद्धि-पत्र

सं0 76/उ0प्र0–वि0स0/256/2017–उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2017 में 256-फूलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री अशोक कुमार दुबे पर अधिरोपित निरर्हता की अवधि को कम करने से संबंधित निर्वाचन आयोग की आदेश संख्या 76/उ0प्र0-वि0स0/256/2017, दिनांक 04 फरवरी, 2021 जो उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में 19 मार्च, 2022 को प्रकाशित हुई थी, मैं आदेश जारी करने की तारीख 04 फरवरी, 2021 के स्थान पर 04 फरवरी, 2022 के रूप में पढ़ी जायेगी।

आदेश से,
अमित कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated the — 30th *September*, 2022 / 8th *Asvina*, 1944 (*Saka*).

CORRIGENDUM

No. 76/U.P.-L.A./256/2017–In the Election Commission's order No. 76/U.P.-L.A./256/2017, dated 4th February, 2021 relating to reduction of period of disqualification imposed on Shri Ashok Kumar Dubey

a contesting candidate from 256-Phulpur Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2017, published in the Gazette of Uttar Pradesh Government on 19th March, 2022, the date of issue of order shall be read as '4th February, 2022' in place of '4th February, 2021'.

By order,
AMIT KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0—28 हिन्दी गजट—भाग 7-ख—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 8 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 16, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे हाई स्कूल वर्ष 2021 अनुक्रमांक 23115679 है। मेरे हाई स्कूल प्रमाण-पत्र सह अंक-पत्र में मेरे माता का नाम मनिषा देवी है, जो त्रुटिपूर्ण एवं गलत है। मेरे माता का सही नाम मनसा देवी पत्नी राजकुमार राव है। भविष्य में संशोधन के पश्चात् मेरे हाई स्कूल प्रमाण-पत्र सह अंक-पत्र में माता का सही नाम मनसा देवी पत्नी राजकुमार राव पढ़ा जाये। नाम पता नितिश कुमार पुत्र राजकुमार राव, ग्राम पोस्ट दुल्हपाह, रसड़ा, अमहरा बलिया, पिन नं0-221712

नितिश कुमार।

सूचना

पूर्व में मेरा नाम श्वेतांक शुक्ला (Shwetank Shukla) था, जिसे मैंने अब बदल कर अद्वित शुक्ला (Advit Shukla) कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये। अद्वित शुक्ला पुत्र प्रदीप शुक्ला, निवासी 296, पंडित का पुरा, सेरांवा, अटरामपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज।

अद्वित शुक्ला,
296, पंडित का पुरा, सेरांवा,
अटरामपुर, थाना-नवाबगंज,
जनपद–प्रयागराज-229412।

सूचना

मेरे सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल वर्ष 2019 एवं इण्टरमीडिएट सीनियर परीक्षा वर्ष 2021 के प्रमाण-पत्र में मेरे पिता का नाम जे0 एल0 सिंह गलत दर्ज हो गया है जबकि सही नाम जोखू लाल है। साक्षी सिंह पुत्री जोखू लाल, ग्राम-57, अमवा कलां, पो0 अमवा खुर्द, जनपद संत रविदास नगर, भदोही (उ0प्र0)।

साक्षी सिंह,
नि0 ग्राम-57, अमवाकलां,
पो0-अमवाखुर्द, जनपद-संत रविदास नगर,
भदोही, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि श्रीमती मुकेश/मुकेश देवी, निवासी ग्राम कुरली, जिला-बुलन्दशहर को अनूपशहर, जिला-बुलन्दशहर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2004 में एल0पी0जी डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किया गया जिसकी वो एक मात्र एलोटी/स्वामिनी थी। मेसर्स अमर शहीद ऋषिपाल सिंह गैस सर्विस, नेहरूगंज, अनूपशहर, जिला-बुलन्दशहर-203390 की साझीदारीनामा दिनांक 22 जून, 2017 के अनुसार श्रीमती मुकेश देवी, श्री गौरव कुमार एवं

श्री सचिन चौधरी साझीदार बने थे, साझीदारीनामा एटविल था। दिनांक 19 सितम्बर, 2022 की विघटन डीड के अनुसार श्रीमती मुकेश देवी प्रोपराईटरशिप में उक्त फर्म का संचालन होगा। दिनांक 19 सितम्बर, 2022 से पूर्व तीनों साझीदारों की संयुक्त रूप से फर्म से सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी लेन-देनदारी की होगी, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के बाद फर्म संचालन से सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी/लेन-देन की होगी, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के बाद फर्म संचालन से सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी लेन-देनदारी श्रीमती मुकेश देवी प्रोपराईटर की होगी। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मुकेश देवी,
प्रोपराईटर,
मेसर्स अमर शहीद ऋषिपाल सिंह,
गैस सर्विस नेहरूगंज, अनूपशहर,
जिला बुलन्दशहर-203390।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स हीरा राइस मिल, कस्बा व पोस्ट धौरा टांडा, जिला बरेली, उ0प्र0, पिनकोड–243202 (पंजीकरण संख्या B-10998) फर्म में कुल 8 साझेदार जमील अहमद, जलील अहमद, इफ्तिखार अहमद, नसीर अहमद, सगीर अहमद, मोहम्मद यासीन, अमजद, श्रीमती नाजिस बेगम थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 31 मार्च, 2022 को फर्म में दो नये साझेदार मोहम्मद साजिद, श्रीमती गुलरेजा बानो शामिल किये हैं सात साझेदार जमील अहमद, इफ्तिखार अहमद, नसीर अहमद, सगीर अहमद, मोहम्मद यासीन, अमजद, श्रीमती नाजिस बेगम अपनी स्वेच्छा से दिनांक 31 मार्च, 2022 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है, साझेदारों का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदारों पर कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 3 साझेदार जलील अहमद, मोहम्मद साजिद व श्रीमती गुलरेजा बानो हैं। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

जलील अहमद,
साझेदार,
मेसर्स हीरा राइस मिल, बरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स हरगोविन्द दास एग्रो फार्म्स, बहादुरपुर, उजैना, जी0टी0 रोड, बाईपास, पो0 कन्नौज, तहसील व जिला कन्नौज का साझीदार हूं। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 16 जून, 1997 के अनुसार फर्म में श्री पुष्पराज जैन, श्री प्रभात चन्द्र जैन, श्री पंकज कुमार जैन, श्री अतुल कुमार जैन, श्री अनूप कुमार जैन साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के अनुसार साझीदारी से साझीदार श्री प्रभात चन्द्र जैन व श्री पंकज कुमार जैन स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के अनुसार अब फर्म में श्री पुष्पराज जैन, श्री अतुल कुमार जैन व श्री अनूप कुमार जैन भागीदार हैं। फर्म की पंजीकरण संख्या K-6236 पर दिनांक 30 जुलाई, 1997 को पंजीकृत है।

पुष्पराज जैन,
पार्टनर।

पी0एस0यू0पी0–28 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।